निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर ,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी आलोक रंजन, आई0ए0एस0

मि0न0 19 / अपील / 23 तारीख दायरा 11.08.2023

सुंजान सिंह पुत्र नारायण लाल जाति लोधा निवासी थोवडियाखुर्द तहसील बकानी जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बकानी (रस्पोडेन्ट)

अपील बनाराजगी न्यायालय तहसीलदार तहसील बकानी जिला झालावाड़
प्रकरण संख्या 03 / 23 दिनांक 25.07.2023

उपस्थितः– श्री नरेन्द्रसिंह तौमर, अभिभाषक अपीलान्ट
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

दिनांक 13/9/23

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी जिला झालावाड़ के आदेश दिनांक 25.07.2023 जो मिसल न0 03 / 2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम थोवडियाखुर्द के पटवार हल्का थोवडियाखुर्द तहसील बकानी की आराजी ख0न0 836 रकबा 0.1897 हेक्टेयर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 03/–रू0 शास्ती तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाव किया जाने से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं पत्रावली संग्रह सार के सर्वथा विरूद्व होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी का चारागाह भूमि वाके ग्राम थोवडियाखुर्द खसरा न0 836 रकबा 0.1897 है0 पर बतौर अतिक्रमी कब्जा नही रहा है न ही अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर कोई दुकान निर्माण ही कराया वर्तमान में भी अपीलार्थी का कोई कब्जा आराजी पर नही है। अपीलार्थी ग्राम थोवडियाखुर्द का रहने वाला नही है। अपीलार्थी ग्राम रामचन्द्रपुरा का रहने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्भावना से हल्का पटवारी ने किसी गांववासी की झूठी शिकायत अपीलार्थी के नाम को लेकर अपीलार्थी को अतिक्रमी बता दिया गया है जबकि सत्यता यह है कि अपीलार्थी का निर्णय मे वर्णित किसी चारागाह भूमि पर बतौर अतिक्रमी कब्जा नाजायज नही रहा है न ही वर्तमान में है। कोई दुकान निर्माण अपीलार्थी द्वारा नही किया गया है। अपीलार्थी को चारागाह भूमि पर अतिक्रमी होने या अतिक्रमण कर दुकान निर्माण का नोटिस ही गलत दिया गया है। अपीलार्थी का ग्राम थोवडियाखुर्द तहसील बकानी की चारागाह भूमि खसरा न0 836 से कोई सरोकार नही है। अपीलार्थी इस आशय की जमानत पेश करने को तैयार है कि वे भविष्य मे ग्राम थोवडियाखुर्द की आराजी खसरा न0 836 पर कब्जा नही करेगा न बनाये रखेगा न उसके परिवार का कोई सदस्य कब्जा करेगा। अपीलार्थी को सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया तो अब अपीलार्थी का अपील करना व्यर्थ हो जावेगा। इसलिए निर्णय जेर अपील निरस्तरणीय है। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर निर्णय जेर अपील निरस्त फरमाया जावे। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जावे।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्टि करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस बताया कि एलआर एक्ट की धारा 1956 धारा 91 के तहत ग्राम बकानी की आराजी खसरा न0 836 रकवा 0.1897 किस्म चारागाह भूमि पर बेदखली किए जाने के आदेश जारी किए है तथा अतिकमी पर जुर्माना राशि 6 पैसे का 50 गुना जो 03/– रूपये बनता है तथा तीन माह (90) दिन का सिविल कारावास सजायाब किया गया है वह न्यायोचित है तथा अपीलान्ट का प्रश्नगत आराजी पर किया गया अतिक्रमण हटाये जाने योग्य है। अपीलार्थी के वि रूद्व तहसीलदार बकानी जारी किया गया गिरफतारी वारण्ट जारी किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है। पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे। तहसीलदार बकानी ने रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 प्रस्तुत कर अंकित किया कि खसरा न0 836 रकवा 0.0126 पर अपीलान्ट का कब्जा बदस्तूर है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। तहसीलदार बकानी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 04.09.2023 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट का उक्त प्रश्नगत आराजी पर कब्जा बदस्तूर है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय .दिनांक 25.07.2023 उचित है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट के इस कृत्य को संरक्षण दिया जाना हमारी राय में उचित नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 13 .09.2023 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
झालावाड